उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 27/ 2021

उत्तराखंड जल संस्थान और एक अन्य ..... अपीलार्थी

बनाम

सुनील सरीन ..... प्रत्यर्थी

उपस्थित –

श्री शतिज कौ शक, अपीला र्थयों के अ धवक्ता।

श्री हरि मोहन भाटिया, प्रतिवादी के अ धवक्ता।

साथ में

आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 432/ 2019

सुनील सरीन और एक अन्य ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखंड जल संस्थान और दूसरा। ..... प्रतिवादी

उपस्थित –

श्री हरि मोहन भाटिया, अपीला र्थयों के अ धवक्ता।

श्री शतिज कौ शक, प्रतिवादी के अ धवक्ता।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे. (मौ खक)

ये दो संयोजित आदेश के वरुद्ध अपीलें है, ले कन इन पर वचार करने से पहले, क्यों क इसे दावेदार द्वारा प्राथ मकता दी गई है, यानी आदेश के वरुद्ध_अपील सांख्या 432 सन 2019 से जुड़ी अपील, क्यों क इसके लए मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण द्वारा मुआवजे का निर्धारण करने के तरीके के संबंध में साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, इसकी सुनवाई अलग से की जानी चाहिए।

2. निचली अदालत के रिकॉर्ड को आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 432 सन 2019 के साथ तलब कया जाए (जिसका फैसला निचली अदालत के रिकॉर्ड की प्राप्ति पर बाद में कया जाना है)।

3. आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 27 सन 2021 से उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा दिनां कत 03.07.2019 को देर से चुनौती देते हुए प्राथ मकता दी गई थी, क्यों क यह मोटर दुर्घटना दावा संख्या 165 सन 2017, सुनील सरीन बनाम उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण मे प्रस्तुत कया गया था, जिसके तहत, तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के निर्धारण पर, वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने दावेदार को लगी चोटों के लए 7 प्रतिशत की दर से देय ब्याज के साथ 32,26,412/- की रा श प्रदान की है।

4. जिन सं क्षप्त तथ्यों पर वचार कया जा रहा है, वे यह हैं क आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 27 सन 2021 में प्रतिवादी वह पी ड़त था, जिसके बारे में कहा जाता है क वह 28.05.2018 पर एक दुर्घटना का शकार हुआ था, जिसमें यह तर्क दिया गया था क जब वह पंजीकरण No.UK 07ए. वाई. 1594 वाली स्कूटी पर सवार था और हरिद्वार से ऋ षकेश जा रहा था। जब वह टीवीएस शोरूम के पास पहुंचा, तो पंजीकरण No.UA 07सी 7675 वाला एक टैंकर, जो स्वीकार्य रूप से वर्तमान अपीलार्थी का था और प्रासं गक समय पर दावा या चका के प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही थी , जिसके परिणामस्वरूप एक दुर्घटना हुई है जिससे दावेदार को बड़ी चोटें आई हैं।

5. दावेदार द्वारा यह तर्क दिया गया था क जिस तारीख को दुर्घटना हुई थी, उस तारीख को पी ड़त की आयु 24 वर्ष थी और अनुबंध के साक्ष्य के अनुसार, जो रिकॉर्ड में था, दावेदार द्वारा यह तर्क दिया गया था क चूं क वह एक तकनीकी संचालक के रूप में काम कर रहा था, इस लए वह प्रति माह 12,000/- रुपये

कमाता था और तदनुसार, दावा या चका के दावेदारों ने 1 करोड़ रुपये के मुआवजे के अ धनिर्णय के लए अनुरोध कया है।

6. इसमें अपीलकर्ताओं ने अपना ल खत बयान पेपर संख्या 27ख के रूप में दा खल कया था। 28.05.2016 को टैंकर के उपयोग से दुर्घटना होने का तथ्य, जो उनका था, एक ऐसा तथ्य था जिस पर वर्तमान अपीलकर्ताओं ने ववाद नहीं कया था और इसके अलावा उन्होंने इस तथ्य पर भी ववाद नहीं कया है, क जिस समय दुर्घटना घटी थी, प्रतिवादी नंबर 2 यानी श्री रितेश ड्राइवर थे, जिन्हें उन्होंने अपना वाहन चलाने के लए नियुक्त कया था और आगे दलील और मुद्दे के अनुसार, जो अंततः निर्धारित कया गया है, इस मुद्दे पर अंततः निर्णय लया गया है।

7. वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण अंततः साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा क दुर्घटना 28.05.2016 को हुई थी, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कया गया एक तथ्य था और इसके अलावा, यह भी रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी।

8. दूसरा, मुद्दा संख्या 1 का निर्णय करते समय यह रिकॉर्ड में आया है क टैंकर, जो वर्तमान अपीला र्थयों का था और उल्लंघन करने वाला वाहन था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.05.2016 की दुर्घटना का कारण बना। यह आगे रिकॉर्ड में आया है क जिस समय दुर्घटना हुई थी, उस समय उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास वैध ड्राइ वंग लाइसेंस नहीं था और इस प्रकार यह तर्क दिया गया था क चूं क वाहन बीमा पॉ लसी की शर्तों के वपरीत चलाया जा रहा था, इस लए मुआवजे के भुगतान का पूरा दायित्व वर्तमान अपीला र्थयों पर लगाया जाना था।

9. वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने दावेदारों को देय मुआवजे का निर्धारण करने के संबंध में मूल्यांकन के उद्देश्यों के लए गवाहों वनोद कुमार अ भयोजन साक्षी 7 दीपक कुमार और अ भयोजन साक्षी 6 से वास्त वक च कत्सा व्यय के तथ्य के संबंध में पूछताछ की थी, जो या चकाकर्ता द्वारा

व भन्न अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लए खर्च कए गए थे, इस तथ्य के साथ क ववादित फैसले के पैराग्राफ 24 में की गई टिप्प णयों के अनुसार, उन्हें काफी लंबे समय तक हिमालय अस्पताल, जॉली ग्रांट, देहरादून में इलाज के लए रखा गया था, जहां इलाज मे 2,10,388/- रुपये खर्च हुए थे ।

10. उपरोक्त तथ्य के अलावा, दावेदारों/ प्रतिवादियो के अ धवक्ता ने प्रस्तुत कया है क डॉक्टरों के अनुसार, जो पी ड़त की देखभाल कर रहे थे ने बयान दर्ज कया था क चोटें पर्याप्त गंभीर थीं और जिनका उ चत उपचार भारत में उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार यह सलाह दी गई थी क उपरोक्त उपचार के लए उन्हें अमेरिका जाकर अपना इलाज कराना चाहिए और जिसके लए दावेदारों द्वारा यह तर्क दिया गया था क उन्हें भारी खर्च करना होगा, जो उनके अनुसार, वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण द्वारा बिना कसी आधार या वश्वसनीय आधार के निर्धारित कया गया है।

11. ले कन जहां तक आदेश से तत्काल अपील का संबंध है, जैसा क जल संस्थान द्वारा प्राथ मकता दी है! क्यों क वाहन के स्वा मत्व का तथ्य उनका है, दुर्घटना होने की सम्भावना होने का तथ्य! दावेदार को लगी चोटों की गंभीरता का तथ्य! तथ्य यह है क अपराधी वाहन (अपीलकर्ताओं से संबं धत) के चालक के पास दुर्घटना की ति थ पर वैध लाइसेंस नहीं था! वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण द्वारा वर्तमान अपीला र्थयों पर दिनांक 03.07.2019 के आक्षे पत निर्णय द्वारा तय कए गए दायित्व को कसी स्पष्ट त्रुटि या साक्ष्य के दुरुपयोग से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है, इस कारण से, वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने इलाज के लए कए गए च कत्सा व्यय के बारे में रिकॉर्ड पर रखे गए वस्तृत साक्ष्य पर वचार कया है, साथ ही साथ गवाहों के बयान पर भी वचार कया है जो इस संबंध में दर्ज कए गए थे चोटों की गंभीरता के संबंध में दर्ज कया गया था और उपरोक्त तथ्य पर वचार करते हुए वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने राज कुमार बनाम अजय कुमार, (2011) 1 एससीसी 434, के मामलों में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यापक सद्धांतों पर वचार कया। जिसमें उक्त निर्णय के पैरा 6 में व्यापक सद्धांत दिया गया है , क वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण उन व भन्न मदों पर वचार करने के लए बाध्य है जिन पर दावेदारों/घायलों ने व्यय कया होगा। जिसे उस आ र्थक निवेश के रूप में लया जाना चाहिए जो पी ड़त द्वारा खुद का उ चत इलाज कराने के लए कया गया है।

11. वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने पी ड़त को उपार्जित आय से संबं धत अपनी टिप्पणी करते हुए साक्ष्य की सराहना के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज कया था , इस आशय से क रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुसार दावेदार द्वारा कुल खर्च रु 21,26,412- के रूप में निर्धारित कया गया था। इसके अलावा, भ वष्य में होने वाले नुकसान और संभा वत व्यय, जो अपीला र्थयों को वहन करना होगा और जैसा क पैरा 34 में कया गया है, का निर्धारण उपलब्ध सामग्री और दावेदारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण के समक्ष रखे गए साक्ष्य पर तर्कसंगत वचार पर आधारित था। अत: जहां तक ग णतीय गणना पर मुआवजे के निर्धारण का प्रश्न है , रु. 32,26,412/- उस पर देय ब्याज सहित , जैसा क मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण द्वारा 7% प्रति वर्ष की दर से दिया गया है , कसी भी स्पष्ट त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ता है, क्यों क यह ऊपर चर्चा कए गए तथ्यों के संबंध में अपीला र्थयों का ही स्वीकृत मामला है।

12. ले कन जहां तक आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 27 सन 2021 का संबंध है, जैसा क उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पसंद कया गया है, वास्तव में, उनके दायित्व को बीमा कंपनी पर स्थानांतरित नहीं कया जा सकता है, यह स्वीकार कए गए मामले के कारण ववाद में नहीं है जैसा क ऊपर संद र्भत है, उनकी दावा या चका जिसमें दिनां कत 03.07.2019 को दिए गए ववादित पंचार्ट को चुनौती दी गई है, खारिज हो जाएगी। आदेश वरुद्ध अपील को खारिज करते समय ऐसा देखा गया उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा अपने निष्कर्षों को

प्राथ मकता दी गई से अपील पर निर्णय के लए सी मत रहेगा, जिसे मात्र जल संस्थान द्वारा प्राथ मकता दी गई है।

13. जहां तक आदेश वरुद्ध अपील का संबंध है, जैसा क आदेश के वरुद्ध अपील संख्या 432 सन 2019 होने के नाते दावेदार द्वारा इसे प्राथ मकता दी गई है, एम. ए. सी. पी.संख्या 165 सन 2017 के इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त कए जा रहे अ भलेखों पर स्वतंत्र रूप से वचार कया जाएगा, उसी पर नीचे दिए गए न्यायालय के अ भलेख की प्राप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से वचार कया जाएगा।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)
11.12.2023

र व